सत्यमेव जयते
कुलाधिपति
Chancellor

स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि
..............................विश्वविद्यालय,
..................................University,
राज भवन, जयपुर – 302006
Raj Bhawan, Jaipur
क्रमांक : एफ.48(1)आरबी / 2024 / 4729
दिनांक : 26 अगस्त, 2025

आदेश

राजभवन के आदेश क्रमांक 5111–12 दिनांक 29.09.2022 के द्वारा डॉ. अरूण कुमार को स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर का कुलपति (कुलगुरू) नियुक्त किया गया था एवं आदेश क्रमांक 3424–25 दिनांक 21.06.2024 के द्वारा कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर में कामचलाऊ व्यवस्थार्थ कुलपति (कुलगुरू) के पद के कृत्यों के निर्वहन के लिए निर्देशित किया गया था।

डॉ. अरूण कुमार के विरूद्ध विभिन्न गंभीर शिकायतें प्राप्त होने के कारण इस सचिवालय के आदेश क्रमांक 1414–15 दिनांक 19.03.2025 एवं आदेश क्रमांक 1534 दिनांक 26.03.2025 के द्वारा दोनों कृषि विश्वविद्यालयों के संबंध में उक्त प्राप्त विभिन्न शिकायतों की विस्तृत जांच हेतु संभागीय आयुक्त, जोधपुर को निर्देशित किया गया था।

संभागीय आयुक्त, जोधपुर द्वारा कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर के संबंध में प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन दिनांक 06.06.2025 एवं स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के संबंध में प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन दिनांक 02.07.2025 में प्रो. अरूण कुमार, कुलपति (कुलगुरू) के विरूद्ध अधिनियम के प्रावधानों का कार्यान्वयन करने में जानबूझकर लोप करना, शक्तियों का दुरूपयोग करना, विश्वविद्यालय की निधि का दुरूपयोग करना, अवैधानिक नियुक्तियां करना, विश्वविद्यालय को वित्तीय हानि पहुंचाने का कृत्य प्रथम दृष्टया प्रमाणित होने पर डॉ. अरूण कुमार को कुलपति (कुलगुरू) पद से हटाये जाने के संबंध में राज्य सरकार का परामर्श प्राप्त हो चुका है।

अतः मैं, हरिभाऊ बागडे, राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर उक्त विश्वविद्यालय के अधिनियम, 1987 (यथा संशोधित) की धारा 19–क एवं कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 2013 (यथा संशोधित) की धारा 25–क में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार के परामर्श से डॉ. अरूण कुमार, कुलपति (कुलगुरू), स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर एवं कार्यवाहक कुलपति (कुलगुरू), कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर को तत्काल प्रभाव से कुलपति (कुलगुरू) पद से हटाता हूँ।

हस्ता0
(हरिभाऊ बागडे)
राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति

क्रमांक : एफ.48(1)आरबी/2024/4730 दिनांक : 26 अगस्त, 2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. शासन सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. डॉ. अरूण कुमार, कुलगुरू, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर एवं कार्यवाहक कुलगुरू, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर।
5. कुलसचिव, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर।
6. कुलसचिव, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर।
7. रक्षित पत्रावली।

सचिव,
राज्यपाल राजस्थान